उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई.टी.आई. परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः /उ.प्र.कौ.वि.मि./2020–21/का.आ./1656

दिनांकः 23 अक्टूबर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में अनुबंधित निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं की परफारमेंस के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में अनुबंधित निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के परफारमेंस के मूल्यांकन के सम्बन्ध में अनुबंध के प्रस्तर– 34 में वार्षिक आधार पर मूल्यांकन की व्यवस्था वर्णित की गयी है।

उक्त प्राविधान में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टता के अभाव में मूल्यांकन के परिणामों को लेकर प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा निरंतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाते है।

i. प्रशिक्षण प्रदाताओं का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में मार्च में किया जायेगा।

ii. प्रत्येक प्रशिक्षण प्रदाता को शार्ट टर्म ट्रेनिंग के सम्बन्धित लक्ष्य वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास (अप्रैल–जून) के मध्य आवंटित कर दिये जायेंगें। प्रशिक्षण प्रदाताओं का यह दायित्व होगा कि आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष दिसम्बर माह के अंत तक समस्त प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा वर्ष के शेष 3 माह प्रशिक्षित युवाओं के सेवायोजन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

iii. चूँकि आरपीएल के अन्तर्गत प्रशिक्षण अवधि 3 दिन–7 दिन के मध्य सीमित रहती है, अतः आरपीएल के अन्तर्गत लक्ष्यों का आवंटन सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के पश्चात् भी किया जाता रहेगा।

iv. यदि किसी प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया जाता है, तो अवशेष लक्ष्य स्वतः विद ड्रा माने जायेंगे। उक्त व्यवस्था वर्ष 2021–22 से प्रभावी होगी। वित्तीय वर्ष 2019–20 के रोल ओवर लक्ष्यों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा कार्यालयादेश संख्याः 5730/उ0प्र0कौ0वि0मि0/एस/2020–21/का.आ./1656 दिनांक 27.08.2020 में निहित व्यवस्था के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वर्ष 2021–22 से उक्त कार्यालयादेश तत्त्सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

v. चूँकि वर्ष 2020–21 से बड़ी संख्या में आरपीएल के अन्तर्गत भी लक्ष्यों का आवंटन किया जा रहा है, अतः प्रशिक्षण प्रदाताओं की परफारमेंस के मूल्यांकन में आरपीएल की उपलब्धियों को भी संज्ञान में लिया जायेगा।

vi. प्रशिक्षण प्रदाताओं की परफारमेंस के मूल्यांकन हेतु कुल निर्धारित पूर्णांक में से 30 अंक आरपीएल के अन्तर्गत उपलब्धियों हेतु आवंटित किये जायेंगें। शेष 70 अंकों में से 35–35 अंक लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षित युवाओं की संख्या व प्रशिक्षित तथा सफल मूल्यांकित युवाओं के सापेक्ष सेवायोजित युवाओं की संख्या हेतु आवंटित किये जायेंगें।

vii. यदि किसी प्रशिक्षण प्रदाता को मात्र आरपीएल के अन्तर्गत ही लक्ष्य आवंटित किये जाते है, तो उसकी परफारमेंस का मूल्यांकन आरपीएल के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षित शिल्पकारों की संख्या के आधार पर किया जायेगा और उस दशा में आरपीएल के लिए 100 नम्बर का वेटेज प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि किसी प्रशिक्षण प्रदाता को मात्र शार्टटर्म ट्रेनिंग के लक्ष्य आवंटित किये जाते है, तो उसकी परफारमेंस का मूल्यांकन मात्र शार्टटर्म ट्रेनिंग के सापेक्ष प्रशिक्षित व सेवायोजित युवाओं की संख्या के आधार पर ही किया जायेगा और उस दशा में लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षित युवाओं व सेवायोजित युवाओं के सन्दर्भ में 50–50 अंकों का वेटेज निर्धारित किया जायेगा।

viii. प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षित एवं सफल मूल्यांकित युवाओं में से कम से कम 70% युवाओं को सवेतन अथवा स्वरोजगार में सेवायोजित कराना अनिवार्य होगा। सवेतन अथवा स्वरोजगार में योजित युवाओं की संख्या व उनकी परिभाषा का निर्धारण कॉमन नार्म्स के सुसंगत प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

ix. वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के संक्रमण के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम व लक्ष्य आवंटन की प्रक्रिया लम्बे समय तक बाधित होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रशिक्षण प्रदाताओं का वार्षिक मूल्यांकन स्थगित रहेगा परन्तु वर्ष 2021–22 से उक्त व्यवस्था पूर्णतया प्रभावी मानी जायेगी।

x. उक्त व्यवस्था के फलस्वरूप किसी प्रशिक्षण प्रदाता को प्राप्त होने वाले अंक निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किये जाते है। उदाहरण में दर्शाये गये आंकड़े मात्र निदर्शन हेतु है:–

शार्टटर्म ट्रेनिंग हेतु				आरपीएल हेतु	
विषय	विवरण	विषय	विवरण	विषय	विवरण
आवंटित लक्ष्य	500	प्रशिक्षित व सफल मूल्यांकित युवा	300	आवंटित लक्ष्य	2000
प्रशिक्षित युवा	300	सेवायोजित युवा	150	प्रशिक्षित शिल्पकार	1500
प्रतिशत उपलब्धि	60%	प्रतिशत उपलब्धि	50%	प्रतिशत उपलब्धि	75%
वेटेज	35	वेटेज	35	वेटेज	30
प्राप्त अंक	21	प्राप्त अंक	17.50	प्राप्त अंक	22.50

कुल प्राप्तांक 21+17.50+22.50=61

उक्त मूल्यांकन के आधार पर 40 अंक से कम प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण प्रदाता स्वतः डी–इम्पैनल समझे जायेंगे। 41–60 अंक तक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं का अनुबंध इस शर्त के साथ एक वर्ष हेतु विस्तारित किया जायेगा कि वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक मूल्यांकन में कम से कम 61 अंक प्राप्त करना सुनिश्चित करें। 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं के अनुबंध पुनः दो वर्ष हेतु नवीनीकृत किये जायेंगे।

प्रशिक्षण प्रदाताओं को लक्ष्य आवंटित किये जाने अथवा उनकी परफारमेंस के आंकलन हेतु पूर्व में जारी विभिन्न कार्यालयादेश तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ निष्पादित/वर्तमान में प्रभावी अनुबंध भी उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में यथोचित् सीमा तक संशोधित समझें जायेंगें।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः 6715/उ.प्र.कौ.वि.मि./2020–21/ का.आ./1656 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रशिक्षण प्रदाता, अनुबंधित, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
2. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
3. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. प्रबंधक (आईटी) को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालयादेश पंजिका।
6. गार्ड फाइल।

23/10/2020

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक